कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर

कमांक फा.8(45)सविरा / ऑडिट / [illegible] / परिपत्र / 2013 दिनांक : 28.05.2013

:: परिपत्र ::

भारत के संविधान के 97 वे संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के वे प्रावधान जो उक्त संशोधन से असंगत थे, उन्हे राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में दिनांक 24.04.2013 के द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसके अनुसार अधिनियम 2001 की धारा–54 में मूलभूत परिवर्तन प्रभाव में आ गये हैं। कतिपय सोसायटियों तथा विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया व लेखा परीक्षा पारिश्रमिक के निर्धारण तथा सोसायटियों की गत वर्षों की बकाया लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः उक्त समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में समस्त विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों तथा सोसायटियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 में वर्णित धारा–54 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा–54 के प्रावधान निम्न प्रकार है :–

"54 लेखे और लेखापरीक्षा–

(1) प्रत्येक सोसायटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अपने लेखे, विहित प्ररूप और रीति से तैयार और संधारित करेगी ।

(2) प्रत्येक सोसायटी, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा उप–धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवायेगी ।

परन्तु किसी भी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म को लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त नहीं किया जावेगा ।

(3) प्रत्येक सोसायटी के लेखाओं की लेखा परीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित है, समाप्ति के छह मास के भीतर ऐसे लेखे संबंधित है, समाप्ति के छह मास के भीतर–भीतर की जायेगी।

(4) रजिस्ट्रार उप–धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित रीति से, पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल तैयार, अनुमोदित और अधिसूचित करेगा।

(5) सोसाइटियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मो के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव निम्नलिखित होगा, अर्थात :–

(क) लेखापरीक्षक के मामले में –

(i) वह चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हो और उसे अर्हता पश्चात् लेखाओं की संपरीक्षा करने का तीन वर्ष का अनुभव हो, या

Ql

(ii) वह राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग में सेवारत व्यक्ति हो और सहकारी सोसाइटियों की लेखा परीक्षा को संचालित करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत हो और उसके पास "नेशनल काउन्सिल फार कोपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली" के द्वारा सहकारी लेखा में दिया गया डिप्लोमा हो, और

(ख) लेखा परीक्षा फर्म के मामले में, वह चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्टों की फर्म हो और उसे लेखाओं की लेखापरीक्षा का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

(6) लेखापरीक्षा का खर्चा संबंधित सोसाइटी द्वारा निर्धारित और संदत किया जायेगा। परन्तु उप–धारा (5) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षकों की फीस राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(7) सोसाइटी लेखा परीक्षक या यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म को सोसाइटी की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजो, कागजपत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच को सुगम बनायेगी।

(8) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी या एजेंट है या किसी भी समय रहा है और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्व सदस्य, सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के संबंध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म अपेक्षा करें।

(9) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म को सोसाइटी के सभी नोटिस और वार्षिक साधारण बैठक में सम्बन्धित प्रत्येक संसूचना प्राप्त करने का और ऐसी बैठक में उपस्थित होने और उसमें सुने जाने का अधिकार होगा।

(10) लेखापरीक्षक या यथास्थिति लेखापरीक्षा फर्म रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और लेखपापरीक्षा रिपोर्ट सोसाइटी को प्रस्तुत करेगी।

(11) लेखा परीक्षक या, यथास्थिति लेखापरीक्षा फर्म, जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करती है, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय बैंक और रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित करेगी।

(12) रजिस्ट्रार यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बेंक की विशेष लेखापरीक्षा करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा और भारतीय रिजर्व बैंक को नियत समय के भीतर–भीतर रिपोर्ट भी देगा।

(13) सोसायटी, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा उस पर विचार और अनुमोदन के पश्चात्, उसकी अनुपालन रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी संबंद्ध सोसायटी को भेजेगी।

(14) रजिस्ट्रार शीर्ष सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(15) यदि राज्य विधान–मण्डल उसके समक्ष रखी गयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर कोई निर्देश या सिफारिश करने का संकल्प करता है तो सोसाइटी यथाशक्य शीघ्र उन निर्देशों या यथास्थिति, सिफारिशों का अनुपालन करेगी।"

कतिपय सोसायटियों तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अधिसूचित राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों प्रमुखतः धारा–54 की पालना नहीं की जा रही है। कुछ समितियों द्वारा सोसायटी की साधारण सभा की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही तथा/या लेखा परीक्षक के द्वारा न्यूनतम अर्हता व निर्धारित अनुभव धारण नही करने के बावजूद लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति आदेश में नियुक्त लेखा परीक्षक को देय लेखा परीक्षा पारिश्रमिक व अन्य सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख नही किया जा रहा है।

अतः उक्त समस्याओं के निराकरण के संबंध में समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों तथा सोसायटियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 में वर्णित धारा–54 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। धारा–54 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्न निर्देश हैं :–

(i) प्रत्येक सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा समिति/प्रशासक का यह कर्त्तव्य है कि वे सोसायटी के साधारण निकाय (साधारण सभा) के सम्मुख धारा–54 की उपधारा–(4) व (5) के तहत तैयार पैनल में से एक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति तथा उसको भुगतान योग्य लेखा परीक्षा पारिश्रमिक के मूल्य का निर्णय करवाये तथा तदनुसार निर्णय से रजिस्ट्रार को निर्णय दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अवगत कराए।

(ii) सोसायटी के लेखापरीक्षा कार्य के लिए जिस लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति की जा रही है उससे पूर्व यह आश्वस्त कर लिया जावे कि उस लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षा फर्म द्वारा विगत लगातार दो वर्षों में उस सोसायटी का लेखा परीक्षा कार्य संपादित नहीं किया गया हो।

(iii) धारा–54 की उपधारा–(3) में प्रत्येक सोसायटी के लेखों की लेखा परीक्षा, उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित हैं, समाप्ति के छह मास के भीतर–भीतर किए जाने का प्रावधान है। धारा–25 में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर करना अनिवार्य है। धारा–54 की उपधारा–(13) में सोसायटी, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, सोसायटी के साधारण निकाय(साधारण सभा) द्वारा उस पर विचार और अनुमोदन के पश्चात्, उसकी अनुपालन रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसायटी को भेजने का प्रावधान है। धारा–122–क (विवरणियों का फाइल किया जाना) के तहत सोसायटी के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर–भीतर रजिस्ट्रार के सम्मुख जिन विवरणियों को फाइल करना अनिवार्य है, उसमें अपने लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सम्मिलित है।

चूंकि उक्त समस्त प्रावधानों की पालना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह मास के भीतर–भीतर करना अनिवार्य है, अतः सोसायटी के मुख्य कार्यकारी का यह कर्तव्य है कि उक्त सभी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए

(अ) सोसायटी की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन अधिकतम 30 सितम्बर तक करवा लिया जावे।

(आ) इस प्रकार आयोजित साधारण सभा के सम्मुख प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट को विचारार्थ प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जावे, तथा

(इ) अनुपालन रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रार तथा संबंद्ध सोसायटी को पठा दी जाये।

(iv) सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह नियुक्त लेखा परीक्षक/लेखापरीक्षा फर्म से रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करे।

(v) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा–54 की उपधारा–(1) के तहत लेखापरीक्षकों के तीन पैनल यथा–विभागीय लेखा परीक्षक, प्रमाणित लेखा परीक्षक तथा चार्टर्ड अकाउण्टेंटस वर्ष 2011–14 के लिये तैयार किए गए थे, परन्तु राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा–54 की उपधारा–(5) के तहत प्रमाणित लेखा परीक्षक (राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम–73 के उपनियम–(2), स्पष्टीकरण–1 से यथापरिभाषित) लेखापरीक्षा कार्य के लिए पात्र नहीं होने के कारण पूर्व में वर्ष 2011–14 की अवधि के लिए गठित प्रमाणित लेखा परीक्षकों का पैनल समाप्त हो गया है। अतः किसी भी सोसायटी में प्रमाणित लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त नहीं किया जावे।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 धारा–54 की उप धारा–(4) के अनुसार लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षा फर्मों का एक पैनल रजिस्ट्रार द्वारा बनाया जावेगा तथा धारा 54 की उप धारा 5(क) तथा 5(ख) में उक्त पैनल में शामिल किये जाने वाले लेखापरीक्षक/लेखा परीक्षा फर्म की न्यूनतम अर्हताऐं/योग्यताऐं निर्धारित की गई है। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट– लेखापरीक्षक तथा लेखा परीक्षा फर्म के लिए तीन वर्ष का लेखापरीक्षा अनुभव तथा विभागीय लेखापरीक्षक के लिए उसे "नेशनल काउन्सिल फार कोपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली" के द्वारा दिया गया सहकारी लेखापरीक्षा में डिप्लोमा तथा लेखापरीक्षा कार्य के लिए सहकारी विभाग द्वारा नियुक्त या अधिकृत होना आवश्यक है। एकीकृत पैनल विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। अतः तैयार पैनल में से ही लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जावे।

अतः समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सहकारी सोसाइटियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

(पवन कुमार गोयल)
रजिस्ट्रार

8(45)
क्रमांक फा.8(45)सविरा/ऑडिट/[illegible]/परिपत्र/2013 दिनांक : 28.05.2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ/पालनार्थ

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सहकारी विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम/द्वितीय) प्रधान कार्यालय जयपुर।
4. समस्त फंक्शनल अधिकारी, प्रधान कार्यालय जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक शीर्ष संस्थाऐं (समस्त)
6. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ .... खण्ड ....
7. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियाँ, ... (समस्त)
8. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. .... (समस्त) को भेजकर लेख है कि बैंक तथा बैंक के कार्य क्षेत्र. में कार्यरत समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों/पैक्स/लेम्पस में उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
9. सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. .... (समस्त)
10. महाप्रबन्धक, जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. .... (समस्त)
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अरबन/नागरिक सहकारी बैंक लि. .... (समस्त)
12. प्रबन्ध संचालक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. .... (समस्त) को भेजकर लेख है कि दुग्ध संघ तथा दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र मे कार्यरत समस्त प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
13. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार/विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियाँ .... को भेजकर लेख है कि जिले की समस्त सहकारी सोसायटियों में उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
14. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि परिपत्र का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करावें।
15. रक्षित पत्रावली(परिपत्र)

रजिस्ट्रार